

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (यू.एच.एन.डी.)

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी शहरी स्वास्थ्य इकाइयां तथा एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है एवं 214 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में नियमित ए0एन0एम0 तैनात है, जिसकी गैप एनालिसिस करते हुये प्रत्येक 10000 की शहरी जनसंख्या पर 01 ए0एन0एम0 की संविदा पर तैनाती की स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस प्रकार 2898 संविदा ए.एन.एम. तथा 147 नियमित ए.एन.एम. की स्वीकृति प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों की भौति शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की कोई भी व्यवस्था नहीं है, अतः ए0एन0एम0 का मुख्यालय नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में कम से कम 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेंगे।

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन शासनादेश संख्या – 34/2017/327/पांच-9-2017-9(127)/12टीसी चिकित्सा अनुभाग-9 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार किया जाना है।

ए.एन.एम. के कार्य एवं दायित्व

- प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा आवंटित कार्य क्षेत्र का सर्वे पूर्ण कर लिया जाये। इस हेतु ए.एन.एम. द्वारा समस्त घरों पर भ्रमण किया जाये तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचानाएं संकलित की जाय। आर.सी.एच. रजिस्टर का प्रारूप जनपदों को प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रारूप के अनुसार रजिस्टर को प्रिंट कराकर प्रत्येक ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाय।
- **शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (यू.एच.एन.डी.)** – शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन में गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है—
 - प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. आयोजित करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि यू.एच.एन.डी. मलिन बस्तियों में या उनके पास आयोजित किये जाये। यू.एच.एन.डी. को प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित किया जाय, यदि आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है तो ऐसे स्थान जहाँ पर लाभार्थियों के बैठने एवं गर्भवती महिलाओं की चेकअप की अलग से व्यवस्था हो जैसे— सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर यू0एच0एन0डी0 आयोजित किये जाय।
 - यू.एच.एन.डी. आयोजित करने में अरबन आशा एवं आंगनवाड़ी का पूर्ण सहयोग लिया जाये। यू.एच.एन.डी. के आयोजन में विशेष ध्यान रखा जाये कि बुद्धवार एवं शनिवार को मलिन बस्तियों में तथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोजर अनुसार यू.एच.एन.डी. का आयोजन किया जाये।

ए.एन.एम. द्वारा आयोजित किये जाने वाले यू.एच.एन.डी. की कार्ययोजना

दिवस	ए.एन.एम.—1	ए.एन.एम.—2	ए.एन.एम.—3	ए.एन.एम.—4	ए.एन.एम.—5
प्रथम बुद्धवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
प्रथम शनिवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में
द्वितीय बुद्धवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में
द्वितीय शनिवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
तृतीय बुद्धवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
तृतीय शनिवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में
चतुर्थ बुद्धवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में
चतुर्थ शनिवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
पंचम बुद्धवार	बुद्धवार एवं शनिवार को अवकाश या अन्य कारणों से छूटे हुये यू.एच.एन.डी. को सम्बन्धित ए.एन.एम. द्वारा पूर्ण किया जाय।				
पंचम शनिवार					



- **क्षेत्र/गृह भ्रमण** — प्रत्येक ए.एन.एम. रजिस्टर प्लान के अनुसार अरबन आशा एवं महिला अरोग्य समिति का सहयोग लेते हुये अपने क्षेत्र का भ्रमण कर लाभार्थियों से भेंट करेंगी तथा निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा—
 - यू.एच.एन.डी. पर प्रसव पूर्व जाँच न कराने वाली गर्भवती महिलाओं से भेंट कर यदि उनकी गर्भावस्था का नवां महीना है तो संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना।
 - प्रसव उपरान्त महिलाओं का चेकअप।
 - टीकाकरण से वंचित शिशुओं की पहचान कर अगले टीकाकरण सत्र में टीके लगवाना सुनिश्चित करना।
 - बीमार नवजात शिशु, कम वजन के बच्चों को सन्दर्भित करना।
 - पात्र दम्पतियों को परिवार नियोजन के साधन अपनाने हेतु प्रेरित करना।
 - गम्भीर रोगों के बीमारों की देखभाल एवं उन्हें उच्चतर इकाईयों पर सन्दर्भित करना।
 - समुदाय में बुखार के रोगियों की जाँच एवं उपचार तथा उच्च इकाईयों पर सन्दर्भित करना।
 - समुदाय को मच्छरदानी का उपयोग, घरों में कीटनाशक दवाईयों के छिड़काव हेतु प्रेरित करना।
 - मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु के मामलों में प्राथमिक पूछ-ताछ एवं रिपोर्ट करना।
 - नेत्रहीनता, श्रवणहीनता, मानसिक बीमारी, कुष्ठ, टी.बी., विकलांगता के सभी मरीजों को चिन्हित करना तथा उपचार हेतु स्वास्थ्य इकाई पर सन्दर्भित करना।
- **समुदाय-स्वास्थ्य शिक्षा महत्व—**

गृह भ्रमण तथा यू.एच.एन.डी. के दौरान ए.एन.एम. के द्वारा समुदाय को निम्न बिन्दुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दी जायेगी—

 - गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण
 - संस्थागत प्रसव का महत्व
 - प्रसवोपरान्त देख-भाल का महत्व
 - पोषण आहार
 - 06 माह तक केवल स्तनपान
 - 06 माह बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार
 - निर्जलीकरण के लक्षण का चिन्हीकरण
 - डायरिया के दौरान देखभाल, जिंक गोली एवं ओ.आर.एस. घोल का उपयोग
 - गम्भीर श्वसन, संक्रमण के दौरान देखभाल
 - मलेरिया, टी.बी., कुष्ठ एवं अन्य संक्रामक बीमारियों, स्थानीय महामारी/आउट ब्रेक रोगों की रोकथाम
 - एस.टी.आई., एच.आई.वी., एड्स की रोकथाम
 - स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता एवं हाइजीन के महत्व
- **रिपोर्ट एवं रिकार्ड का रख-रखाव**
 - उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रतिदिन 01 घण्टा रजिस्टर में प्रविष्टि, एच.एम.आई.एस. एवं एम.सी.टी.एस. डाटा का संकलन कर रिपोर्ट तैयार करना।
 - आर.सी.एच., टीकाकरण, परिवार कल्याण रजिस्टर इत्यादि का रख-रखाव।
 - लाभार्थियों के मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड को रख-रखाव।

[Handwritten signatures and initials]

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिवस
1	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बैठक	सोमवार
2	फिल्ड विजिट, आशा के साथ बैठक, महिला आरोग्य समिति की बैठक	मंगलवार
3	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	बुद्धवार
4	क्लीनिक दिवस	बृहस्पतिवार
5	फिल्ड विजिट, आशा के साथ बैठक, महिला आरोग्य समिति की बैठक	शुक्रवार
6	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	शनिवार

● ए.एन.एम. किट—

- सामान्य औषधियाँ एवं प्रदाय सामग्री— नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रत्येक ए.एन.एम. को निम्न औषधियों प्रदान करायी जायेगी—

- आयरन एवं फोलिक एसिड गोलियां एवं सिरप
- ओ.आर.एस. पैकेट
- जिंक की गोली
- पैरासिटामॉल गोली एवं सिरप
- अल्बेन्डाजोल
- एमोक्सीसिलिन सिरप
- जेंटामाईसिन इंजेक्शन
- रुई
- गर्भ निरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां एवं कण्डोम
- एम.सी.पी.कार्ड
- वृद्धि चार्ट
- बैनर एवं आई.ई.सी. सामग्री
- वजन मशीन (वयस्क एवं बच्चों के लिये अलग अलग)
- बी.पी. उपकरण
- स्टेथोस्कोप
- थर्मामीटर
- हामोग्लोबिन मीटर साथ में N/10 घोल या हामोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल लैन्सेट के साथ
- यूरीस्टिक्स
- मूत्र एकत्रित करने के लिये कप
- निश्चय किट
- डिस्पोजबल दस्तानें
- लाल एवं काली पॉलीथिन बैग (यू.एच.एन.डी. दिवस पर)
- वैक्सीन कैरियर, चार आइस पैक के साथ (यू.एच.एन.डी. दिवस पर)
- हब कटर (यू.एच.एन.डी. दिवस पर)

- औषधि एवं कन्ज्यूमेबल्स की व्यवस्था नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से की जायेगी तथा अन्य उपकरण एवं प्रदाय सामग्री की व्यवस्था नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से करायी जायेगी। विभिन्न

कार्यक्रमों के अन्तर्गत खरीदे गये उपकरण एवं सामग्री को पुनः न खरीदा जाय तथा सभी वित्तीय नियमों को ध्यान में रखा जाये।

- **अनुश्रवण**— प्रभारी चिकित्साधिकारी, अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट एवं अन्य के द्वारा जनपदों में उपलब्ध प्रपत्र पर प्रत्येक यू.एच.एन.डी. दिवस पर कम से कम 02 यू.एच.एन.डी. का अनुश्रवण किया जायेगा।
- **रिकार्ड कीपिंग एवं रिपोर्टिंग** — प्रत्येक यू.एच.एन.डी. के आयोजन के उपरान्त ए.एन.एम. के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्टिंग की जायेगी एवं अपने रिकार्ड में भी दर्ज किया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त यू.एच.एन.डी. की संकलित मासिक रिपोर्ट को एच.एम.आई.एस. रिपोर्ट में अंकित करा दिया जाय।
- **वित्तीय व्यवस्था**— यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु रु0 250/— प्रति यू.एच.एन.डी. की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु व्यवस्था जैसे— लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, प्रचार प्रसार एवं अन्य में किया जायेगा। ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. के आयोजनोपरान्त बिल प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत बिल को प्रभारी चिकित्साधिकारी से प्रमाणित करने पर धनराशि उसके खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

